

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/एफ 20-3/2013/3-25
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/7/2016

समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व)
मध्यप्रदेश

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजस्व भूमि के वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वर्ग के वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ)
2. संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें का पत्र क्रमांक/वनअधि/503/2014/6032 दिनांक 10.3.2014
3. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-4/2014/7-6 दिनांक 5.8.2014

विषयान्तर्गत संदर्भित प्रावधान एवं पत्रों का अवलोकन करें। जिलों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन विभाग के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के काबिजों को वन अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही तो की जा रही है, परन्तु राजस्व रिकार्डों में दर्ज वनभूमि में काबिज वन निवासियों को वन अधिकार पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। जबकि संदर्भित पत्रों द्वारा राजस्व भूमि के अंतर्गत राजस्व वन (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद) में दर्ज भूमि में काबिज अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।


वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 2 (घ) में "वनभूमि" की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है :-

"वनभूमि से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गये वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं"


अधिनियम के उक्त प्रावधान एवं राजस्व विभाग के उक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 5.8.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज राजस्व वन (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल) मद में दर्ज भूमि में काबिज सभी पात्र व्यक्तियों को राजस्व विभाग के अभिलेखों अथवा राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करते हुये वन अधिकार पत्र प्रदान करने की कार्यवाही तत्परता से की जायें।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय भोपाल




अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ 20-3/2013/3-25


भोपाल, दिनांक 26/7/2016

प्रतिलिपि:-


1. समस्त कलेक्टर्स, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय भोपाल



अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय भोपाल